प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील सं. 1205/2003</u>

सुशांतो उर्फ बाबू मण्डल, पिता- दुर्गा मण्डल, आयु- लगभग 22 वर्ष, कृषक, निवासी- पी. व्ही. 108, थाना- पखांजूर, जिला- कांकेर (छ.ग.)

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना- पंखाजुर, जिला- कांकेर (छ.ग.)

..... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री रेणु कोचर, अधिवक्ता की ओर से श्री लीकेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : अंकुर कश्यप, उप शासकीय अधिवक्ता

<u>एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत</u>

<u>बोर्ड पर निर्णय</u>

<u>12.02.2025</u>

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) (संक्षेप में द.प्र.सं.) के तहत यह अपील अपीलार्थी द्वारा सत्र विचारण सं. 460/2001 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला कांकेर, (छ.ग.) द्वारा पारित निर्णय तथा दण्डादेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को निम्नलिखित अपराध हेतु निम्नलिखित दण्डादेश दिया है-

	दोष सिद्ध	दण्ड
1.	भा.द.वि. की धारा 306 के अंतर्गत	रु. 1000/- के अर्थदण्ड के साथ 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

2. अपीलार्थी ने दो अन्य अभियुक्त- दुर्गापाद मण्डल और सरस्वती मण्डल के साथ भा.द.वि. की धारा 34 के साथ पठित धारा 306 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण का सामना किया। इस प्रकरण के स्वीकृत तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी पति है, सह-अभियुक्त दुर्गापाद मण्डल और सरस्वती मण्डल मृतका श्रीमती टीना मण्डल के सास-ससुर हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि मृतका श्रीमती टीना मण्डल ने अपने ग्राम (पी. व्ही. 108) थाना- पंखाजुर में अपने निवास पर 24.02.2001 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अ.सा.-7 दिलीप मजूमदार को अभियुक्त दुर्गापाद मण्डल ने सूचित किया, जिस पर अ.सा.-7 दिलीप मजूमदार ने पुलिस चौकी- बांदे को घटना के बारे में सूचित किया जहाँ मर्ग सूचना **P**.15 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। मृतका श्रीमती टीना मण्डल का शव पंचनामा प्र.**P**.7 साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किया गया। मृतका का शव परीक्षण अ.सा.-1 डॉ. एम. एस. कंवर द्वारा किया गया था और शव परीक्षण रिपोर्ट प्र. **P**.2 में कहा गया कि मृतका की मृत्यु 'कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर' के कारण हुई है और उसकी मौत को साड़ी से लटकर आत्महत्या किया जाना व्यक्त किया गया। मर्ग जांच के दौरान साक्षियों का कथनों से तथ्य यह सामने आया कि मृतका और अपीलार्थी ने घटना से 8 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। अपीलार्थी के माता-पिता शादी के लिए राजी नहीं थे और शादी के बाद मृतका को अपीलार्थी और सह-अभियुक्त व्यक्तियों की क्रूरता का सामना करना पड़ा और उसके साथ मारपीट भी की गई जिसके

कारण एक बैठक भी बुलाई गई। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि मृतका के साथ क्रूरता और मारपीट की जाती थी जिसके कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सम्यक् अन्वेषण के बाद, भा.द.वि. की धारा 306 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अन्वेषण पूरा होने पर समक्ष न्यायालय के समक्ष आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया जिसने इसे विचारण के लिए विचारण न्यायालय को सौंप दिया।

4. अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों पर भा.द.वि. की धारा 306 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया।

5. अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया जिसमें भी उन्होंने निर्दोष होने और झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को स्थापित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों का परीक्षण किया है और 20 दस्तावेजों प्रदर्शित किए हैं।

7. आक्षेपित निर्णय द्वारा, सह-अभियुक्त दुर्गापाद मण्डल और सरस्वती मण्डल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया जबकि अपीलार्थी को सिद्धदोष किया गया तथा निर्णय की पहली कण्डिका में उल्लिखित दण्डादेश दिया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित कर पाने में असमर्थ था। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 306 के तहत उसे सिद्धदोष करने के लिए कोई ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और भा.द.वि. की धारा 107 में निहित घटक को अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। वे निवेदन करते हैं कि यह सुझाव देने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका श्रीमती टीना मण्डल

को क्रूरता और उकसावे का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अभिलेख से जो आरोप प्रकट होता है वह पति-पत्नी के मध्य कुछ विवाद तथा अपीलार्थी तथा अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा की गई मारपीट से संबंधित है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, एक जैसे साक्ष्यों पर अन्य सह-अभियुक्त दुर्गापाद मण्डल और सरस्वती मण्डल को आरोप से मुक्त कर दिया गया जबकि अपीलार्थी को सिद्धदोष कर दिया गया था। अतः उनका निवेदन है कि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त होने का हकदार है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने विवेकपूर्ण और ठोस साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को उचित संदेह से परे दोषी स्थापित किया। वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतका श्रीमती टीना मण्डल को क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और अपीलार्थी द्वारा उस पर हमला भी किया गया था और जो अपीलार्थी की भाग उकसावे को दर्शाता है। उकसावा इतना गंभीर था कि मृतका श्रीमती टीना मण्डल के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और निचली विचारण द्वारा दिए गए निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और एकत्र किए गए साक्ष्य को देखते हुए, इस अपील को स्वीकार करने के लिए यह एक उपयुक्त प्रकरण नहीं है। अतः श्री अंकुर कश्यप ने इस अपील को खारिज करने का अनुरोध किया।

11. मैंने तर्क- वितर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

12. मृतका श्रीमती टीना मण्डल की आत्महत्या से हुई मृत्यु किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं है। अन्यथा भी, अ.सा.-1 डॉ. एम. एस. कंवर के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से अभिलेख पर साबित होता है कि मृतका श्रीमती टीना मण्डल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

13. इस न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे भा.द.वि. की धारा 306 के तहत अपीलार्थी के अपराध को स्थापित कर पाया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, भा.द.वि. की धारा 107 और 306 के उन उपबंधों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है, जिन पर विचार किया जा रहा है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 107- किसी बात का दुष्प्रेरण

वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो -

पहला— उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा— उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा— उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण

1. जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित

या उपास करता है, अथवा कारित या उपास करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

2. जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

धारा 306- आत्महत्या का दुष्प्रेरण-

"आत्महत्या का दुष्प्रेरण- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक कि हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भा.द.वि. की धारा 306 में दो बुनियादी तत्व हैं- पहला, एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का कृत्य और दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा उक्त कृत्य के लिए दुष्प्रेरण। भा.द.वि. की धारा 306 के तहत आरोप को बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक रूप से साबित किया जाना होगा कि अभियुक्तगण ने किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य से मृतका द्वारा किए गए आत्महत्या में योगदान दिया है। इस तरह के योगदान या भागीदारी को साबित करने के लिए, भा.द.वि. की धारा 107 में उल्लिखित तीन शर्तों में से एक को पूरा करना होगा।

15. भा.द.वि. की धारा 107 के साथ पठित धारा 306 की बार-बार व्याख्या की गई है और इसके सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध को आकर्षित करने के लिए, अभियुक्त द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है, जो मृतका द्वारा आत्महत्या करने के निकट होना चाहिए। इस तरह के उकसावे से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का

स्पष्ट दोषी मन (मेन्स रिया) दर्शाना चाहिए तथा पीड़ित को ऐसी स्थिति में डालना चाहिए कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो।

16. अतः यह स्पष्ट है कि उकसाने का सकारात्मक कृत्य दुष्प्रेरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। समान प्रकृति के मुद्दे से निपटने के दौरान, **(2001) 9 एस. सी. सी. 618** में प्रतिवेदित **रमेश कुमार बनाम छ.ग. राज्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उकसाने का कृत्य किससे गठित होगा, इसके मापदंडों को प्रतिपादित किया। माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

> **"**20. उकसाना, "कृत्य" करने के लिए, राह दिखाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है। उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतका के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस प्रकरण में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था।वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने कहा कि उकसाना "कृत्य" करने के लिए राह दिखाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग अभिनिर्धारित किया जाता है जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए, यद्यपि , परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता होनी चाहिए।प्रकरण के तथ्यों पर विधि को लागू करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोला गया शब्द उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **2022 लाइव लॉ (एस.सी.) 834** में प्रतिवेदित **मारियानो एंटो ब्रूनो व एक अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक** के एक अन्य प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

> **"**आत्महत्या के कथित दुष्प्रेरण के मामलों में, आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए। केवल घटना के समय अभियुक्त द्वारा घटना के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न जिसने व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, के आरोप पर भा.द.वि. की धारा 306 के संदर्भ में दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "प्रत्येक आत्महत्या एक व्यक्तिगत त्रासदी है जो समय से पहले किसी व्यक्ति की जान ले लेती है और इसका निरंतर प्रभाव पड़ता है, जो परिवारों, दोस्तों और समुदायों के जीवन को नाटकीय रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि, निर्णय लेते समय विधि को भावनाओं की

भावनाओं द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, परन्तु तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए।"

20. हाल ही में, **2023 लाइव लॉ (एस.सी.) 149** में प्रतिवेदित **काशीबाई व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

> **"**न्यायालय के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के तहत अनुमान लगाने और अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 306 का दोषी ठहराने के लिए केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही पर्याप्त नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "भा.द.वि. की धारा 306 के तहत अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने के लिए, अपराध के मूल घटक अर्थात् क्या मृत्यु आत्महत्या थी और क्या भा.द.वि. की धारा 107 में उल्लिखित अभियुक्त की ओर से कोई दुष्प्रेरण था, यह स्थापित अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। प्रकरण को भा.द.वि. की धारा 107 के अंतर्गत 'दुष्प्रेरण' के दायरे में लाने के लिए अभियुक्त की ओर से उकसावा, षड़यंत्र या जानबूझकर की गई सहायता से संबंधित कोई साक्ष्य होना चाहिए। भा.द.वि. की धारा 306 के अंतर्गत आरोप को साबित करने हेतु, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने हेतु उकसाने, सहायता करने हेतु अभियुक्त कृत्य के संबंध में साक्ष्य होना चाहिए।

22. (2010) 1 एस. सी. सी. 750 में प्रकाशित **गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** के प्रकरण में, भा.द.वि. की धारा 306 की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

> **"**दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया

सम्मिलित है। अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने हेतु उकसाए जाने या सहायता किए जाने में सकारात्मक कृत्य के बिनाए दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "भा.द.वि. की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने हेतु अपराध करने के लिए एक स्पष्ट दोषी मन होना चाहिए।"

24. **(2011) 3 एस.सी.सी. 626** में प्रतिवेदित **एम. मोहन बनाम राज्य (पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व)** के एक अन्य प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"44. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित है।

45. विधायिका की आशय और इस न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों का अनुपात स्पष्ट करते हैं कि भा.द.वि. की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट दोषी मन होना चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतका ने कोई विकल्प न देख आत्महत्या कर ली और इस कृत्य का उद्देश्य मृतका को ऐसी स्थिति में धकेलना होना चाहिए कि उसने आत्महत्या कर ली।"

25. उपरोक्त आधिकारिक घोषणा के आलोक में, इस प्रकरण में अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य को देखा जाना है।

26. भा.द.वि. की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने मूल रूप से साक्षियों, विशेष रूप से अ.सा.-3 सतीश विश्वास, अ.सा.-5 असीम दास, अ.सा.-8 रीना मजूमदार और अ.सा.-10 श्रीमती अमोरी रॉय के कथन का अवलंब लिया जिन्होंने कहा है कि अपीलार्थी, सह-अभियुक्तगण और मृतका के बीच झगड़ा हुआ करता था। एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें अपीलार्थी को मृतका के साथ मारपीट नहीं करने की सलाह दी गई थी। मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए, इन साक्षियों पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवाह के बाद अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मार-पीट किया जाता था इसलिए धारा 306 के तहत प्रकरण बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अ.सा.-3 सतीश विश्वास के कथन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि मृतका टीना मण्डल के साथ अपीलार्थी ने मारपीट घटना से कुछ दिन पहले, अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त ने मृतका पर हमला किया था, जिसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी। अपीलार्थी और मृतका को बैठक में सलाह दी गई थी जहाँ दुर्गापाद मण्डल (दोषमुक्त आरोपी) ने आश्वासन दिया कि वे लड़की को ठीक से रखेंगे। प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया कि अपीलार्थी और मृतका का प्रेम- विवाह हुआ था और कुछ दिन वे खुश रहे और तत्पश्चात् उनका घरेलू विवाद होने लगा। मृतका 4 माह की गर्भवती थी। उसने आगे कथन किया है कि वह अभी भी अपीलार्थी और दोषमुक्त किए गए अभियुक्त व्यक्तियों के साथ बातचीत करती थी है।

28. अ. सा. 4 शीबू ओबोरॉय उर्फ शिवपाद रॉय ने भी मुख्य परीक्षण में कथन किया कि मृतका टीना मण्डल की मृत्यु से पूर्व अपीलार्थी सुशांतों और उसकी माता उससे मारपीट करते थे। एक बैठक बुलाई गई जिसमें अपीलार्थी की माता और दुर्गापाद मण्डल (दोषमुक्त आरोपी) को मृतका से मारपीट नहीं करने की सलाह दी गई। प्रति- परीक्षण में उसने कथन किया कि उसने अपीलार्थी तथा सह- अभियुक्त व्यक्तियों को मारपीट करते हुए नहीं

देखा है। उसने आगे कथन किया कि मृतका ने उसे कभी अपने सास- ससुर द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना नहीं दी। उसने आगे कथन किया कि उसने स्वयं कभी मृतका से अभियुक्तों द्वारा मारपीट किए जाने के विषय में नहीं पूछा। उसने आगे कथन किया कि बैठक में उन्हें घरेलू विवाद न करने तथा खुशहाल रहने की सलाह दी गई।

29. अ.सा.- 5 असीम दास ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया है।

30. अ.सा.- 8 जो महिला समिति की प्रमुख है, ने कथन किया कि टीना मण्डल ने एक शिकायत की थी कि उसके परिवार के सदस्य उससे झगड़ते थे और तत्पश्चात् उनका समझौता कराया गया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और विशेष रूप से सामग्री अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. इस साक्षी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका टीना मण्डल शादी के तीन-चार माह बाद उसके पास आई थी और एक बैठक बुलाई गई थी क्योंकि एक घरेलू विवाद था और उन्हें विवाद को निपटाने की सलाह दी गई थी।

32. अ.सा.- 9 शांति सरकार ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

33. अ.सा.- 10 अमोरी रॉय, मृतका की माता ने शपथ पूर्वक कथन किया है कि उसकी पुत्री व अपीलार्थी का विवाह 7-8 महीने पहले हुआ था। अपीलार्थी के माता- पिता इस विवाह से खुश नहीं थे और वे उसकी पुत्री को भोजन नहीं देते थे तथा उससे मारपीट करते थे। उसने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ क्रूरता कारित की गई। उसने यह भी सुझाव दिया कि एक बैठक भी बुलाई गई थी और बैठक की सलाह के बावजूद अभियुक्त व्यक्ति मृतका से मारपीट करते थे।

34. अ.सा.-11 आनंद सरकार और अ.सा.-12 रानू को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

35. इन साक्षियों के मूल्यांकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और मृतका की शादी 7 माह पहले हुई थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका से मारपीट की जाती थी इसलिए एक बैठक बुलाई गई और उन्हें समझाया गया। उक्त आरोप सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध है। साक्षियों के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों और मृतका के मध्य कुछ घरेलू विवाद था। मृतका की माता अ.सा.-10 अमोरी रॉय ने यह सुझाव देने का प्रयास किया है कि मृतका का उत्पीड़न किया गया था जो इस भावना के कारण कहा गया प्रतीत होता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपीलार्थी के दोष को भा.द.वि. की धारा 306 के अंतर्गत स्थापित करने हेतु अभियोजन को मृतका टीना मण्डल द्वारा आत्महत्या करने में उकसाए जाने या सहायता किए जाने के सकारात्मक कृत्य को दर्शाना होगा। पति-पत्नी के मध्य घरेलू विवाद एक स्वाभाविक घटना है। उत्पीड़न के संबंध में कुछ साक्ष्य हो सकते हैं और वही इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर नहीं ले जाएगा कि मृतका के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए और 2 सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है। विद्वान विचारण विचारण ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध उकसाने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। यद्यपि, साक्षियों द्वारा लगाए गए आरोप सभी अभियुक्तों के विरुद्ध समान प्रतीत होते हैं। इस पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का अवलंब लेना उपयुक्त होगा। **(2023) 9 एस. सी. सी. 9** में प्रतिवेदित **जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षियों के समान भूमिका दर्शाने वाले समान साक्ष्य हों तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी ठहराकर दूसरे को बरी नहीं कर सकता है" और कण्डिका सं. 15 में निम्नलिखित टिप्पणी की है :

"जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षियों के समान भूमिका दर्शाने वाले समान साक्ष्य हों तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी ठहराकर दूसरे को बरी नहीं कर सकता है। ऐसे प्रकरण में, दोनों अभियुक्तों के प्रकरण समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धांत का अर्थ है कि दाण्डिक न्यायालय को समान रूप से मामलों का निर्णय करना चाहिए, और ऐसे मामलों में, न्यायालय दोनों अभियुक्तों के मध्य विभेद नहीं कर सकता है, जो भेदभाव के बराबर होगा।"

37. अतः उपरोक्त निर्णय का अवलंब लेते हुए, इस न्यायालय का मत है कि भा.द.वि. की धारा 107 के घटक को अभियोजन पक्ष द्वारा पूरा नहीं किया गया है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी के बारे में कहा गया है कि वह अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधान के अनुसार उसका जमानत बंध-पत्र छह माह तक प्रभावी रखेगा। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख सूचना तथा अनुपालन हेतु वापस भेजा जाए।

सही/-

(सचिन सिंह राजपूत)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur